12.24 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

Committee on Official Language

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : Sir, I beg to move :

"That in pursuance of sub-section (2) of Section 4 of the Official Languages Act, 1963, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, one member from amongst themselves to be a member of the Committee on Official Language *vice* Shri P.C. Sethi resigned from the Committee."

MR. SPEAKER : The question is :

"That in pursuance of sub-section (2) of Section 4 of the Official Languages Act, 1963, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, one member from amongest themselves to be a member of the Committee on Official Language *vice* Shri P. C. Sethi resigned from the Committee."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : We go to the next item...

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur) : Sir, I understand from radio that Shri Harinatha Misra has been shifted to Irrigation. Please clarify, Sir, who holds this portfolio. I also understand that Shrimati Mohsina Kidwai has taken over as Rural Development Minister. Please let us know the latest position in regard to reshuffling. It is now being done every week. According to the agenda paper, item 8 stands in the name of Shri Harinatha Misra.

अध्यक्ष महोदय : आपको उनके इस डिपार्टमेंट में आने से प्रसन्नता हुई है या नहीं ?

श्री सतीश अग्रवाल : इसमें नाम श्री हरिनाथ मिश्र का है, जबकि यह सबजेक्ट श्रीमती मोहसिना किदवई का है।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : I suggested to you on an earlier occasion that you should have a list here to-day's list of Ministers so that we can know who are the Ministers, what are the Departments they are holding charge of, etc.

अध्यक्ष महोदय : बहुत सी बातों की लिस्ट होनी चाहिए। जैसे, पार्टीवाइज लिस्ट रोज होनी चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : हमें उसपर आपत्ति नहीं है।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You should have a list of Ministers, which are the departments they are holding charge of, who is the senior apprentice and who is the junior apprentice, etc.

श्री सतीश अग्रवाल : अगर लिस्ट में कोई चेंज हो, तो कारीजंडम इस्यू करना चाहिए।

---

12. 27 hrs.

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL-CONTD.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI) : ON BEHALF OF SHRI HARINATHA MISRA, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the land acquisition act. 1984 ;

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That leave be granted to intro-duce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1984."

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जब तक मैं इस लैंड एक्वीजीशन (एमंडमैंट) बिल पर बोलूं तब तक आप यहां पर बैठे रहें। राव साहब से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वह भी मेरी बात सुनते रहें।

मैंने 15 फरवरी, 1980 को लोक सभा में कहा था कि लैंड एक्वीजीशन एक्ट, 1894 में कमी है कि किसानों की जो जमीन ली जाती है, उसका मुआवजा नोटिफिकेशन जारी होने के समय के बाजार-भाव के हिसाब से किया जाता है, न कि जमीन पर कब्जा होने के समय के बाजार-भाव के हिसाब से। हमारे लगातार प्रयत्न करने के बाद माननीय मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह, ने इस बारे में 30 अप्रैल, 1982 को यहां लोक सभा में एक बिल रखा। मैंने राव साहब से कहा कि हमारी प्रधान मंत्री ने 16 फरवरी, 1981 को पच्चीस लाख किसानों की रैली के सामने घोषणा की थी पिछली दफा मैंने लोक सभा में उसको पढ़ कर सुनाया था कि मुआवजा तब के बाजार भाव का मिलेगा, जब कि जमीन पर कब्जा होगा, मगर यह बात इस बिल में नहीं है। राव साहब ने कहा कि अब बिल तैयार होगया है, अब आपके एमेंडमंट को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

तब मैं आपके पास आया और कहा कि यह बिल पास होने जा रहा है, पिछले सैशन में, जबकि एशियाई खेल हो रहे थे, इसको पास करने के लिए दिन तय हो गया था। आपने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि अगर आप इसको कल की लोक सभा की बिजिनेस में से निकाल दें, तो मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूंगा। मैंने प्रधान मन्त्री से कहा कि इस बिल में वह बात नहीं है, जो आपने रैली के सामने कही थी। प्रधान मन्त्री ने राव साहब को बुलाया और तय हुआ कि इस बिल को वापस लिया जाएगा।

मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल में वह बात नहीं है, जो प्रधान मन्त्री ने कही थी। कृषक समाचार में समाचार निकला था कि कृषक समाज के तत्वावधान में राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन हुआ था। कृषक समाज के अध्यक्ष राव बीरेन्द्र सिंह हैं। वह मीटिंग आपके सभापतित्व में हुई थी। उसमें जो प्रस्ताव पास किया गया, उसमें कहा गया कि मुआवजा तब के बाजार भाव का चाहिए, जबकि भूमि पर कब्जा हो, तब का नहीं, जबकि नोटिफिकेशन हो। वह प्रस्ताव प्रधान मन्त्री के पास भेजा गया।

एक किसान कांग्रेस है, जिसके अध्यक्ष श्री रणधीर सिंह हैं। उसने भी प्रस्ताव पास कर के प्रधान मन्त्री के पास भेजा। उसमें भी कहा गया था कि मुआवजा तब के बाजार भाव का मिलना चाहिए, जब भूमि पर कब्जा हो नोटिफिकेशन के समय का नहीं।

श्री. चरण सिंह विरोधी दल के नेता हैं। उन्होंने भी प्रधान मन्त्री को लिखा कि मुआवजा भूमि पर कब्जा के समय के बाजार भाव का मिलना चाहिए मैंने इस

*Published in Gagette of India Extra-ordinary Part II-Section 2, dated 6.8.1984.

बारे में संसद्-सदस्यों के दस्तखत करा के प्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री को भेजे। मेरे पास दस पत्र प्रधान मन्त्री के है। अगर मैं उन्हें पढ़ूं, तो देर लगेगी। उन्होंने लिखा है कि हम उसपर विचार कर रहे हैं। मेरे पास तीस पत्र केन्द्रीय मन्त्रियों के हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरी बात विचाराधीन है। चौ. चरण सिंह ने प्रधान मन्त्री को जो पत्र लिखा, मैंने उसकी प्रतियां सब ससद्-सदस्यों के पास भेजीं। उसमें कहा गया था कि 1894 के कानून में जो संशोधन हो रहा है, उसमें यह कमी है और इससे किसानों के साथ बड़ा अन्याय होगा। मैंने अपने सुझाव छपवा कर सब संसद् सदस्यों के पास भेजे और उनसे निवेदन किया कि जिन किसानों के वोटों से वे चुन कर आते हैं, अगर वे उनके हित की बात नहीं करेंगे, तो देश की भलाई कैसे होगी। लोक दल, बी. जे. पी. के एन. डी. ए. की जो मीटिंग हुई, मैंने उसमें अपना सुझाव रखा। उसकी एक कमेटी बनी। उसको ले कर हम श्री हरी नाथ मिश्र जी से मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि हुआ क्या? हुआ यह कि बिल जो राव साहब ने रखा था, उनकी कृपा से जो आ गया था उस में वही है जो कमियां गई थीं, उस में दो बातें उन्होंने बढ़ायीं हैं। एक तो सैक्शन 18 का है कि अगर किसी आदमी का मुआवजा कम तय हो जाता है और उसमें वह केस लड़कर जीत जाता है तो उसी के आधार पर दूसरों की भी सुनवाई करने का अवसर होगा। दूसरा यह है कि नोटिफिकेशन के समय से दस प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। लेकिन उस का सब चौपट कर दिया एक प्रोवाइजो दे कर। वह आप सुन लें :

> "Provided that no interest shall be paid for any period during which the proceedings of the acquisition of any land were with held on account of stay or injunction of court".

मैं पूछना चाहता हूं कि यदि मेरी जमीन सरकार ले रही है, उसमें ट्यूब वेल बना हुआ है, सरकार कहती है कि टयूबवेल नहीं है, तो मैं उस में झगड़ा करूंगा या नहीं करूंगा? मुकदमा लड़ूगा या नहीं लड़ूगा? उस में मकान बना हुआ है तो मैं यह कहूंगा या नहीं कहूंगा कि मकान बना हुआ है? पेड़ लगे हैं, तो कहूंगा या नहीं कहूंगा कि पेड़ लगे हैं? लेकिन इसके हिसाब से मुकदमे के दौरान का ब्याज नहीं मिलेगा मैं कहना चाहूँगा कि 1894 या 1895 में किसी जमीन का नोटिफिकेशन कर दिया हो और तब से अब तक मुकदमा लड़ा जा रहा हो तो उसे ब्याज इसलिए नही मिलेगा कि मुकदमा चल रहा था और उसे मुआवजा 1895 के वक्त का मिलेगा, क्या यह न्याय है?

मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि यह जो बिल आया है, मैं तो माननीय मंत्री जी से भी कहूँगा जो मन्त्री जी बदलकर आ गए हैं, कि अगर यह बिल ऐसे ही पास हो जाता है तो क्या यह किसानों के साथ न्याय होगा? जब आप चाहते हैं, राव साहब चाहते हैं, प्रधान मन्त्री जी चाहती हैं। क्या संसद सदस्य कोई भी खड़े हो कर कह सकता है कि मुआवजा नोटिफिकेशन के समय के बाजार भाव का मिलना चाहिए? सब यह कहेंगे कि मुआवजा तब के बाजार भाव का मिलना चाहिए जब भूमि पर कब्जा किया जाता है। यह सब सांसद कहेंगे। तो जब सब लोग कहने को तैयार हैं, कांग्रेस के लोग

(श्री दिगम्बर जैन)

भी कहने को तैयार हैं, विरोधी दल के भी कहने को तैयार हैं, अध्यक्ष महोदय भी कहने को तैयार हैं, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, केवल एक मन्त्री को छोड़कर सब तैयार हैं तो यह क्यों नहीं होना चाहिये। उस लाबी में बैठे हुए सेक्रेट्री और ज्वाइंट सेक्रेट्री तैयार नहीं हैं जो यह बिल तैयार करते हैं तो क्या यह किसानों के साथ न्याय नहीं है ? यह डेमोक्रेसी है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं भावुकता में कहना चाहता हूं कि अगर मेरे इस्तीफा देने से यह बिल अमेंड हो कर पास हो सकता है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उस अमेंडमेंट को आप ले आएं। अगर आप कहें कि तुमको शहीद होना पड़ेगा, भूख हड़ताल कर दो, तुम्हें फांसी पर चढ़ना होगा तो मैं कहता हूं कि मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आप उस अमेंडमेंट को ले आएं। अगर आप मुझसे यह कहें कि किसान के हित के लिए तुम यह वादा कर लो कि तुम कभी राजनीति में भाग नहीं लोगे तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आप इस अमेंडमेंट को कर दीजिए कि किसान से जमीन जब ली जाती है, जब उस पर कब्जा किया जाता है तब के बाजार भाव का मुआवजा उस को मिलना चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में मिसाल देना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आप से कि क्या इस बिल में अन्याय को रोकने का कोई तरीका है ? आप देखिए पी ए सी की रिपोर्ट है 1980-81 की, उसमें क्या है वह भी मैं सुना देना चाहता हूं। किसानों से जमीन ली गई ढाई रुपये स्क्वायर गज के हिसाब से, 12100 रुपये प्रति एकड़ के भाव से। उसमें डेवलपमेंट का खर्चा हुआ 80 रुपये प्रति गज के हिसाब से और उसको बेचा किस हिसाब से गया ? 17316 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से एक एकड़ जमीन कितने में बिकी - 8 करोड़ 38 लाख 9 हजार चार सौ चालीस रुपये में। कितना मुनाफा हुआ है कि 8 करोड़ 24 लाख 13 हजार तीन सौ चौंतीस रुपये का डी डी ए को मुनाफा हुआ किसानों से। क्या यह किसानों के साथ न्याय है ? क्या यह अन्याय नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहता हूँ कि आप मेरे साथ हो जाइए, हम और आप दोनों मिल कर इस्तीफा दे दें इसी के ऊपर कि यह बिल इस रूप में नहीं आना चाहिए। मेरा जो अमेंडमेंट आ रहा है उस अमेंडमेंट के बारे में प्रधान मंत्री जी को पत्र लिख दिया है कि प्रधान मंत्री जी, आप कृपा करके मेरे अमेंडमेंट के ऊपर सब मेम्बरों को खुला छोड़ दीजिए कि वह मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें और नहीं करे तो न करे तो न करे। मैं सिर्फ दो बातें करना चाहता हूं कि मुआवजा जब कलैक्टर कब्जा करे उस समय का हो, जब नोटिफिकेशन के समय के बाजार भाव का नहीं और दूसरी बात इन्टेरेस्ट के सम्बन्ध में है जिसके बारे में प्रोवाइजो दिया है, उस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि मुकदमा चल रहा है तो चलने दें, आप का क्या नुकसान है ? आज से बीसों वर्ष पहले की जमीन आप ले रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं जिसकी जमीन नहीं ली जा रही है वह बेच रहा है हजारों रुपये गज के हिसाब से और जिस पर सरकार कब्जा कर रही है क्या यह अन्याय नहीं है कि नोटिफिकेशन होगा सैक्सन 4 का ? तब के बाजार भाव पर ही

जायेगी। सेक्शन (4) में नोटिफिकेशन हो गया, आप किसान को एक पैसा देते नहीं, किसान से बात करते नहीं हैं सिर्फ गजट में नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि तुम्हारी जमीन लेनी है, उसमें तुम कोई मकान नहीं बना सकते, कोई बाग नहीं लगा सकते, कोई ट्यूबवैल नहीं बना सकते, कोई भी डेवलपमेन्ट नहीं कर सकते यह न्याय नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं बहुत दुःख भरे दिल से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, तो किसानों की यह समस्या जरूर हल हो जायेगी। मैं मन्त्री महोदय से भी कहूंगा जिन्होंने अभी अभी चार्ज लिया है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं आपके यहां जाकर करूंगा कि इन्होंने किसानों के हित का बिल पास होने दिया। सरकार न कर पाये तो यह असफलता विरोधी दलों के हित में है कि 25 लाख किसानों के सामने श्रीमती इन्दिरा गांधी ने घोषणा की थी लेकिन वह बात नहीं हो पाई। अखबार वाले भी हमारी बात नहीं निकालते हैं। अखबारों में हमारी कोई चर्चा नहीं होती, नाम तक नहीं देते हैं। अखबार में पैसे वालों के हो हैं। रेडियो वाले भी कुछ खबर नहीं देते है। इस तरह से सभी किसानों के खिलाफ हैं।

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर, इस बिल में यह नहीं होता तो मैं और आप दोनों ही इस कुर्सी को छोड़ दें।

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur) : Sir, I want to make a small submission on what Mr. Digambar Singh has said on this Bill. Sir the report of the Public Accounts Committee which Mr. Singh has quoted has very exhaustively dealt on this subject. I had the privilege to preside over the Public Accounts Committee. The points which the hon. Member is Pressing are broadly covered in the recommendations of the Report. But unfortunately even now provision has not been made in the new Bill which is replacing the old Bill where the compensation is not paid by the Government to the farmers on the date the possession of the land is taken and 10% interest is not paid to them. Even the Public Sector undertakings are paying 15% interest to those investing money in the public sector undertakings. In the open market the interest rate is somewhere between 20% to 24%. Government is charging 12% interest on tax arrears, which amount to thousands or crores. In certain cases, Government is charging 6% and in certain cases they want to favour. That is the position explained by Mr. Singh. I think the whole House is unanimous in this regard and I wholeheartedly support this point. Kindly impress upon the Government and the Honble Minister so that they may consider his point of view.

अध्यक्ष महोदय : दिगम्बर सिंह जी की बात मैंने सुनी। उन्होंने जो अपील की है वह भी सुनी है। आपको चिन्ता करने की क्या जरूरत है, अभी लगता है बिल पास कराने की और कोई सेक्रेट्री बीच में नहीं जा सकता है।

अखबारों की भी आप क्यों चिन्ता करते हैं, वह तो पैसे वालों के होते है और जिस दिन किसानों के पास भी पैसा हो जायेगा उनकी बात भी छापी जाने लगेगी। इसलिए चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है।

This question refers to the whole peasantry and once the land goes out of his hands nothing remains with him. This is his life-long companion and he lives with this land. This is much more than anything else in his life. You must provide something as alternative and also compensation and see if there is any amendment necessary for this

purpose, bring it forward and there will be no dissenting voice. The whole House would agree to that. I think Rao Sahib will take care of it along with you, Shrimati Kidwai. I think the prime Minister has also spoken of this.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajaper) : On the samepenes I had also given a private Members Bill. They can withdrow their Bill and support my Bill.

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : Is there so much of an urgency that this Bill should be introduced ? Heavens are not going to fall. Let them withdraw it.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : There is nothing late now. Better late than never.

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, यह 1894 का एक्ट है, उसमें कुछ अमेन्डमेन्ट्स करने की बात सोची गई कि किसानों का हित उसमें रखा जाए। 1982 में एक बिल पेश किया गया लेकिन उसको भी वापिस लिया गया कि इसमें और अमेन्डमेन्ट्स करके सदन के सामने लाया जाए। 1894 का जो बिल है उसमें कुछ अमेन्डमेन्ट्स की बात कही गई है और यह सदन के सामने आया है। इस वक्त यह सुबह है कि किसानों को नुकसान होने जा रहा है। पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन इस बिल में टाइम लिमिट की गई है कि तीन साल के अन्दर सारीप्रोसिडिंग्स हो जाएं। कलेक्टर को यह अधिकार दिया है कि सैक्शन 4 (1) और सैक्शन 11 के अन्दर की सारी प्रोसिडिंग्स हो जायें, जो 10-15 साल के मामलात पड़े रहते थे। ऐसा न होकर तीन साल की टाइम लिमिट की गई है, उसके अन्दर वे सारी प्रोसिडिंग्स हो जायें। इसी प्रकार रेट आफ सोलेशियम को 15 परसेंट से 30 परसेंट की बात की गई है। रेट आफ इन्टरेस्ट 6 परसेंट से 9 परसेंट किया गया है। एक साल में यदि इन्टरेस्ट नहीं मिलता है तो रेट आफ इन्टरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा ...(व्यवधान) मेरी गुजारिश है कि इन्ट्रोडक्शन के वक्त यह चीज न करके, जब बिल आए, तो पूरी चर्चा का मौका मिलेगा, अमेंडमेंट लाने का मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस ध्यान से सोचिए कि बार-बार नहीं बनता है, तीन दफा पहले भी किया है।

I have been involved in this as I myself am a farmer.

जो कोई आपके डिपार्टमेंट में बैठते हैं, उनको आप किसान के पास जेठ महीने में भेज दें, तो फिर उनको अकल आयेगी और हिसाब लगा लेगें। आप इसको थोड़ा सोचकर अगर जरूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से करें।

I hope you will look into it.

(व्यवधान)

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to intro duce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1984."

The motion was adopted.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI : I introduce the Bill.